



न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 133 / 2019-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

गोन्दरा प्रधान
राजश्री गुड़िया

- विक्रेता
- क्रेता

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|-----------|----------------|-----------|----------------|-------|----|----|------|------|--|
| 22.07.20 | <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक गोन्दरा प्रधान पिता लोहरा प्रधान ग्राम-हरिजन टोली मुरहू थाना-मुरहू जिला खूँटी ने सबिता देवी पति छेदी रविदास ग्राम-आजाद बस्ती मुरहू थाना-मुरहू जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1"><thead><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकबा(एकड़ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>मुरहू</td><td>44</td><td>20</td><td>1154</td><td>0.07</td></tr></tbody></table> <p>अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 412 दिनांक 17.07.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता द्वारा भूमि बिक्री करने के पश्चात आवेदक के हिस्से में 1.49¾ डी० भूमि बचता है। इस प्रकार पर्याप्त भूमि नहीं बचने के कारण आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में आ जाते हैं। अंचल अधिकारी द्वारा भूमि विक्रय हेतु अनुशंसा नहीं की गयी है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, मुरहू के जांच प्रतिवेदन अनुसार वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p> भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> | ग्राम | थाना नं० | खाता नं० | खेसरा सं० | रकबा(एकड़ में) | मुरहू | 44 | 20 | 1154 | 0.07 | |
| ग्राम | थाना नं० | खाता नं० | खेसरा सं० | रकबा(एकड़ में) | | | | | | | | |
| मुरहू | 44 | 20 | 1154 | 0.07 | | | | | | | | |